न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>अपील डिक्री/टीए/2462/2006/करौली</u>

1– रामकिशोर **(मृतक) पुत्र श्री बालाबक्श** जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दूबेपाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली **जरिए कायममुकामः–**

1/1 सुभाष उपाध्याय पुत्र स्व.रामकिशोर
1/2 रमेश उपाध्याय पुत्र स्व.रामकिशोर
1/3 अनिल उपाध्याय पुत्र स्व.रामकिशोर
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी वीआईपीकॉलोनी स्टेशन रोड, नई मण्डी तहसील हिण्डौन जिला करौली
1/4 श्रीमतिशारदा पुत्री स्व0 रामकिशोर पत्नि कैलाशचंदशर्मा निवासी रेल्वे मंदिर के पास देहली पाठक तहसील बांदीकुई जिला दौसा
1/5 श्रीमति विमलेश पुत्री स्व0रामकिशोर पत्नि रविकांत दुबे, निवासी 2–ई 24, तलबंडी कोटा
1/6 श्रीमति संतोष शर्मा, पुत्री स्व0 रामकिशोर पत्नि ओमप्रकाशशर्मा निवासी 108/ए आरकेपुरम चावला सर्किल के पास कोटा
1/7 श्रीमति सुनीता पुत्री स्व0 रामकिशोर पत्नि संजीव कुमार शर्मा, निवासी महाराजा भीमसिंह कॉलोनी कोटा
1/8 श्रीमति अल्पना उपाध्याय पुत्री स्व0 रामकिशोर पत्नि मुकेश चंद शर्मा, निवासी 99, प्रजापती बिहार पत्रकार कॉलोनी जयपुर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1– राधेश्याम **(मृतक) पुत्र श्री बालाबक्श** जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दूबेपाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली **जरिए कायममुकामः–**

1/1 घनश्याम उपाध्याय पुत्र स्व. राधेश्याम
1/2 राजेन्द्र उपाध्याय पुत्र स्व. राधेश्याम
1/3 सतेन्द्र उपाध्याय पुत्र स्व. राधेश्याम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी वीआईपीकॉलोनी गोपाल टॉकीज के पीछे मण्डावरा रोड, तहसील हिण्डौन जिला करौली
1/4 श्रीमति कमलेश शर्मा पुत्री स्व0 राधेश्याम पत्नि पूरणचंद शर्मा निवासी अनारगेट नीम का दरवाजा विश्वशास्त्री के मकान के सामने भरतपुर।
1/5 श्रीमति शशि उर्फ बबली पुत्री स्व0 राधेश्याम पत्नि मनोज कुमार, निवासी फौजी ढाबे के सामने बिलवा शिवरदारापुरा जयपुर।
1/6 श्रीमति मधु उर्फ गुड्डी, पुत्री स्व0 राधेश्याम पत्नि ओमप्रकाश शर्मा निवासी ब्रह्मपुरी कॉलोनी मण्डेवरा रोड नई मण्डी हिण्डौन सिटी करौली कोटा।

रेस्पोडेण्ट्स

2– ओमप्रकाश **(मृतक)** पुत्र रामस्वरूप **जरिए कायममुकामः–**

2/1 श्रीमति बिरमादेवी पत्नि स्व0 ओमप्रकाश उपाध्याय, निवासी वीआईपीकॉलोनी गोपाल टॉकीज के पीछे मण्डावरा रोड, तहसील हिण्डौन जिला करौली।
2/2 श्रीमति रेखा पुत्री स्व0 ओमप्रकाश उपाध्याय,पत्नि नवलकिशोर शर्मा, निवासी चौबेपाडा हिण्डोनसिटी, करौली।
2/3 श्रीमति सीमा पुत्री स्व0 ओमप्रकाश उपाध्याय,पत्नि राकेश शर्मा, निवासी 4–बी 28, जवाहरनगर बूंदी ।

2/4 श्रीमति ललतेश पुत्री श्री स्व0 ओमप्रकाश उपाध्याय पत्नि संजयशर्मा, निवासी कृष्णा कॉलोनी, हिण्डौनसिटी, करौली।

2/5 मु0वर्षा उपाध्याय पुत्री श्री स्व0 ओमप्रकाश उपाध्याय निवासी वीआईपीकॉलोनी गोपाल टॉकीज के पीछे, मण्डावरा रोड, तहसील हिण्डौन जिला करौली।

2/6 मु0 पायल उपाध्याय पुत्री श्री स्व0 ओमप्रकाश उपाध्याय निवासी वीआईपीकॉलोनी गोपाल टॉकीज के पीछे, मण्डावरा रोड, तहसील हिण्डौन जिला करौली।

3– वेदप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावरा रोड नई मण्डी हिण्डौन जिला करौली ।

4– सत्यप्रकाश (मृतक)पुत्र रामस्वरूप जरिए कायममुकामः–

4/1 राधादेवी पत्नि सत्यप्रकाश

4/2 नीतू पुत्री सत्यप्रकाश

4/3 ऋतु पुत्री सत्यप्रकाश

जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावरा रोड, नई मण्डी, हिण्डौन, करौली

5– श्रीमति सत्यवती पुत्री रामस्वरूप पत्नि लक्ष्मणलाल जाति ब्राह्मण निवासी मौहल्ला सराय काईयाशाह जहानपुर उत्तरप्रदेश।

6– श्रीमति नर्मदा पुत्री बालाबक्श पत्नि झमनलाल जाति ब्रह्मण निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

7– श्रीमति उदयवती पुत्री बालाबक्श पत्नि केशवदेव जाति ब्राह्मण निवासी भूसावर तहसील बैर जिला भरतपुर ।

तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य
डॉ0श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री रोहित सोनी, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री शेलेन्द्र राणा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 8–7–2021

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–3–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट/वादी ने अपीलाण्ट/प्रतिवादी व रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरूद्ध एक दावा बाबत खातेदारी घोषणा , विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि चकबन्दी मौजा हिण्डोन में स्थित विवादित आराजी खसरा

नंबर 1172 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 1173 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 1174 रकबा 5 बिस्वा, गैर मुमकिन चाह , 1175 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन प0 1176 रकबा 2 बीघा 18 बिसवा चाही दोयम , 1261 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन , 1642 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बारानी दोयम तथा खसरा नंबर 1650 रकबा 2 बीघा बारानी जमाबन्दी संवत 1990 से 1999 में चेटा पुत्र चन्दर कौम ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज थी। इसके अतिरिक्त 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि उनके कब्जे में थी । इस प्रकार कुल 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि उनके खाते में दर्ज थी, जिस पर वे काश्त कर लगान अदा करते थे । चेटा के परिवार में केवल स्वयं व उसके एक बहन थी जिसका विवाह मृतक प्रतिवादी नंबर 2 ता 8 के पिता बालाबक्श पुत्र शंकरलाल के साथ हुआ था । चेटा काफी वृद्ध होने से इनकी सेवा बालाबक्श ही करते । इस कारण चेटा की मृत्यु के पश्चात समस्त आराजी के खातेदार बालाबक्श हो गए । अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा पर्चा अपने नाम करा लिया किन्तु विवादित आराजी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें रेस्पोडेण्ट/वादी का 1/5 एवं अपीलाण्ट एवं शेष रेस्पोडेण्ट 1/5–1/5 के संयुक्त खातेदार है । अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा पुराना खसरा नंबर 1203 एवं 1204 एवं 1207 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से प्लाट काटकर बेच दिए। इन प्लाटो के बेचने से प्रतिवादी ने जो रकम प्राप्त की है उसमें रेस्पोडेण्ट/वादी का भी हिस्सा है । इसलिए रेस्पोडेण्ट/वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी की खातेदारी का इन्द्राज रिकार्ड से हटाया जावे । इसके अतिरिक्त जो प्लाट अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा बेचे गए है उसमें से 1/5 हिस्से की राशि दिलाई जावे एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

उक्त दावे का जबावदावा अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशोर द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी चेटा पुत्र चन्दर कौम ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज थी । इसके अतिरिक्त जो 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि है वह उनके कब्जे काश्त में नहीं थी । चेटाराम की मृत्यु के बाद विवादित आराजी एकमात्र अपीलाण्ट के कब्जे में रही है व राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट/प्रतिवादी का नाम दर्ज है । विवादित आराजी को रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा कभी काश्त नहीं किया । अपीलाण्ट/प्रतिवादी विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है । दावा दायरी के दिन भी कोई कब्जा काश्त रेस्पोडेण्ट/वादीका नहीं था । विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है इसलिए उसे कोई अधिकार नहीं है। स्व0 चेटाराम पुत्र चंदर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मामा थे एवं उन्होंने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी

अपीलाण्ट/प्रतिवादी के नाम कर दी थी । इसलिए उनकी मृत्यु के बाद अपीलाण्ट का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया । अतः रेस्पोडेण्ट/वादी का दावा खारिज किया जावे ।

अपीलाण्ट/प्रतिवादी रामकिशोर द्वारा काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत कर कथन किया कि नवीन आराजी खसरा नंबर 2289 क्षेत्रफल 5 एयर जिसके साबिक खसरा नंबर 1206 व 1175 का वह रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं इस पर एक पुख्ता मकान है जिसे उसने वादी को रिहायश के लिए दिया था। इसी प्रकार खसरा नंबर 2440 रकबा 35 एयर जिसके साबिक खसरा नंबर 1675 व 1642 थे, उसका भी वह खातेदार काश्तकार है । इसी प्रकार खसरा नंबर 2440 रकबा 35 एयर पर वादी अवैध कब्जा करना चाहता है। अतः काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 2440 रकबा 35 एयर व आराजी खसरा नंबर 2289 रकबा 5 एयर पर कब्जा नहीं करे न ही किसी रहन बय व मुन्तकिल करे न ही अपीलाण्ट को बेदखल किया जावे ।

इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से भी जबावदावा प्रस्तुंत कर कथन किया कि विवादित आराजी चेटा पुत्र चन्दर कौम ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज थी । इसके अतिरिक्त जो 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि है वह उनके कब्जे काश्त में नहीं थी । स्व0 चेटाराम पुत्र चंदर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मामा थे एवं उन्होंने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी अपीलाण्ट/प्रतिवादी के नाम कर दी थी इसलिए उनकी मृत्यु के बाद अपीलाण्ट का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया । विवादित आराजी पर वादी व प्रतिवादी का संयुक्त कब्जा काश्त नहीं रहा है । वादी विवादित आराजी का किसी भी हैसियत से काश्तकार नहीं है न ही उसे कोई कानूनी हक प्राप्त है । अतः दावा खारिज किया जावे ।

उक्त काउन्टर क्लेम का जबाव रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया

दावे व जबावदावे के आधार पर 19 तनकियात कायम की गई । उप जिला कलेक्टर, हिण्डौन ने अपने निर्णय दिनांक 22-10-2003 द्वारा रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद खारिज कर अपीलाण्ट/प्रतिवादी रामकिशाोर द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्व रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31-3-2006 द्वारा स्वीकार किया गया ।

प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस प्रस्तुत कर तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि विवादित आराजी बालाबक्ष की खातेदारी की नहीं थी और ना ही पैतृक सम्पत्ति थी । इस कारण 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का रेस्पोडेण्ट/वादी अधिकार नहीं है किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने पैतृक सम्पत्ति मानकर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । स्व0 चेटाराम के देहान्त के बाद अपीलाण्ट विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा किसी भी साक्ष्य से चेटाराम के देहान्त के बाद विवादित आराजी बालाबक्ष की रही हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । रेस्पोडेण्ट/वादी के एक पुत्र रामस्वरूप व अन्य दो पुत्रियों ने भी अपीलाण्ट के काउन्टर क्लेम के कथनों को स्वीकार किया है किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने पैतृक सम्पत्ति मानने में त्रुटि कारित की है । अपीलाण्ट/प्रतिवादी का वर्ष 1999 से रेकार्डेड खातेदार की हैसियत से कब्जा काश्त है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलाण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश दिया है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तनकीवार निर्णय था जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश 41 नियम 31 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर गौर किए बिना निर्णय को अपास्त करने में त्रुटि कारित की है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है । अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय निरस्त कर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 22-10-2003 बहाल रख रेस्पोडेण्ट/वादीका दावा निरस्त कर अपीलाण्ट/प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम की डिक्री की जावे ।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । उनका कथन है कि वादग्रस्त आराजी चेटा पुत्र चन्दर की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है जिसे चेटा के द्वारा बालाबक्ष को बतौर कब्जे काश्त दिया था । चेटा की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी के पिता बालाबक्ष बतौर काबिज काश्त हुए । इस प्रकार बालाबक्ष के

सभी पुत्र पुत्रियों का बराबर के हिस्से का अंकन होना चाहिए किन्तु अकेले रामकिशोर के नाम उक्त विवादित आराजी दर्ज है जबकि रेस्पोडेण्ट/वादी का इसमें 1/5 हिस्सा रेकार्ड में आना चाहिए । अपीलाण्ट द्वारा कुछ जमीनों का बेचान भी कर दिया है जबकि पैतृक आराजी बिना विभाजन कराये बेचान नहीं किया जा सकता है । विचारण न्यायालय द्वारा दावे को गलत तौर पर खारिज किया है जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा विधिसम्मत तरीके से स्वीकार कर खातेदार घोषित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

6. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से प्रकट होता है कि चकबन्दी मौजा हिण्डोन में स्थित विवादित आराजी खसरा नंबर 1172 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 1173 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 1174 रकबा 5 बिस्वा, गैर मुमकिन चाह , 1175 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन प0 1176 रकबा 2 बीघा 18 बिसवा चाही दोयम , 1261 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन , 1642 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बारानी दोयम तथा खसरा नंबर 1650 रकबा 2 बीघा बारानी कुल किता 8 रकबा 12 बीधा 11 बिस्वा जमाबन्दी संवत 1990 से 1999 में चेटा पुत्र चन्दर कौम ब्राह्मण की खातेदारी में दर्ज थी । जमाबन्दी संवत 2019 में खसरा नंबर 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1676, 1695, 2953, 2959, 2865, 2866, 2896 कुल किता 12 कुल रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा अपीलाण्ट रामकिशोर वल्द बालाबक्श कौम ब्राह्मण सा0देह के नाम दर्ज थी । उक्त खसरा नंबर के नये नंबर 2288, 2289, 2290, 2292, 2440, 2456,3973, 3985, 5432, 5449, 5450, 5468 बने जिसका मिलान क्षेत्रफल पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार जमाबन्दी संवत 2047 में खसरा नंबर 2288, 2289, 2290, 2292, 2440, 2456,3973, 3985, 5432, 5449, 5450, 5468 पर रामकिशोर पुत्र बालाबक्श जाति ब्राह्मण खातेदार दर्ज है। खतौनी जमाबन्दी संवत 2036 से 2040 में खसरा नंबर 1676 एवं खसरा नंबर 1685 पर रामकिशोर पुत्र बालाबक्श का नाम दर्ज है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2046 से 2047 एवं सवंत 2048 से 2050 में अपीलाण्ट रामकिशोर का नाम दर्ज है ।

विवादित आराजी मृतक चेंटा पुत्र चन्दर ने अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट रामकिशोर को संभलाई थी एवं राजस्व अभिलेख में भी रामकिशोर बतौर इन्द्राज है । अपीलाण्ट के नाम विवादित आराजी का कुल रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा है जो रिकार्ड से प्रमाणित है ।जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट/वादी जिन खसरा नंबरों का वाद लाया है उसका न तो उसके द्वारा कोई मिलान क्षेत्रफल ही प्रस्तुत किया गया है न ही उसका नाम कभी राजस्व रिकार्ड में आया, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है । जबकि इसके विपरीत अपीलाण्ट द्वारा अपने समर्थन में सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने को रेकार्डेड खातेदार साबित कराया है । काउन्टर क्लेम में जिस खसरा नंबर 2289 एवं खसरा नंबर 2240 पर स्थायी निषेधाज्ञा चाही थी वह दस्तोवजी साक्ष्य से सिद्ध कराया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्यो के रेस्पोडेण्ट/वादी को विवादित आराजी के 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया जिसे किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत न हीं कहा जा सकता है । विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया है उन्होंने अपने निर्णय में रिकार्ड एवं तनकीवार विवेचन के बाद यह अंकित किया है कि वक्त दायरी दावा विादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं रहा है ऐसा कोई दस्तोवज भी पेश नहीं किया जिससे वादी का कब्जा साबित हो । वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार भी नहीं है तो वह निषेधाज्ञा व घोषणा खातेदारी की दादरसी प्राप्त करने का हकदार नहीं है विवादित भूमि वादी की पैतृक भूमि नहीं है । जबकि इसके विपरित अपीलाण्ट प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य का विवेचन किए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है । इस संबंध में आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधान का अवलोकन करना हम उचित समझते हैं –

Order 41 Rule 31- Contents, date and signature of judgment - The judgment of the Appellate Court shall be in writing and shall state -

(a) the points for determination;
(b) the decision thereon;
(c) the reasons for the decision; and
(d) where the decree appealed from is reversed or varied, the relief to which the appellant is entitled;
and shall at the time it is pronounced be signed and dated by the Judge or by the Judges concurring therein."

8– उक्त प्रावधानानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व है कि वे निर्णय पारित करते समय विवाद बिन्दूओं निर्णय में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जिस प्रकार निर्णय पारित किया गया है, वह उक्तानुसार वर्णित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा तनकियात जो कायम की गई है उसमें सम्पूर्ण विवेचन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है। अतः हमारी सुविचारित राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्व होने से निरस्त योग्य है ।

7– उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–3–2006 निरस्त किया जाता है । उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–10–2003 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य